संख्या : 71/2015/1168/छप्पन-2015-94/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04 सितम्बर, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में सम्मिलित करने हेतु एक नये हेलीकॉप्टर बेल-412 ई.पी.आई. के क्रय हेतु अवशेष धनराशि (70 प्रतिशत) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या- 402/ना0उ0नि0/2015, दिनांक 20-7-2015 एवं शासनादेश संख्या- 11/2015/435/छप्पन-15-94/2013, दिनांक 20-3-2015 तथा शासनादेश संख्या- 26/2015/513/ छप्पन-15-94/2013 टी0सी0, दिनांक 31-3-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

(क) उक्त शासनादेश दिनांक 20-3-2015 द्वारा निर्माता कम्पनी **M/s. Bell Helecopter Textron Taxas, U.S.A.** से विक्रय मूल्य 13,850,000-00 यू0एस0 डॉलर (बैंक चार्जेज सहित रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से रूपये 90,02,50,000-00) पर **Bell-412 EPI** हेलीकॉप्टर के क्रय की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए कुल मूल्य की 30 **%** धनराशि रूपये 27,00,75,000-00 के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(ख) इसके अतिरिक्त उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31-3-2015 द्वारा वायुयान/हेलीकॉप्टर क्रय हेतु अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में संगत मद में अप्रयुक्त धनराशि रूपये 39,92,75,000-00 (रूपये उनतालिस करोड़ बानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र) को उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-001 में जमा किया गया था, जिसमें से नये वायुयान के क्रय हेतु अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिये शासनादेश संख्या- 48/2015-930/छप्पन-2015-94/2014 टी0सी0, दिनांक 3.7.2015 द्वारा रूपये 30,48,50,000-00 का आहरण कर लिया गया है और रूपये 9,44,25,000-00 की धनराशि अवशेष है।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) 30 **%** धनराशि के अग्रिम भुगतान के उपरान्त वर्तमान में हेलीकॉप्टर क्रय हेतु भुगतान की अवशेष 70 **%** धनराशि यू0एस0डालर 9,695,000-00 अर्थात भारतीय मुद्रा में रूपये 65/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से कुल रूपये 63,01,75,000-00 की धनराशि का भुगतान निर्माता कम्पनी **M/s. Bell Helecopter Textron Taxas, U.S.A.** को किया जाना है।

(घ) क्रय अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार हेलीकॉप्टर के कुल मूल्य का 60 **%** धनराशि 8,310,000-00 यू0एस0डालर (बैंक चार्जेज सहित रूपये 65/-प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से रूपये 54,01,50,000-00) का भुगतान हेलीकॉप्टर के **Technical Acceptance** , जो दिनांक 26-10-2015 तक निर्माता कम्पनी की फैक्ट्री **Piney Flats Tennessee, U.S.A.**में होना सम्भावित है, के उपरान्त लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से निर्माता कम्पनी को किया जाना है।

(ड.) तत्पश्चात फेरी फ्लाइट करके हेलीकॉप्टर के भारत पहुंचने के बाद भारतीय सर्टीफिकेट आफ एयरवर्दीनेस (सी0 आफ ए0) प्राप्त करते ही अवशेष 10 **%** धनराशि 1,385,000-00 यू0एस0डालर (बैंक चार्जेज सहित रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से रूपये 9,00,25,000-00) का भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से निर्माता कम्पनी को किया जाना है।

(च) लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते समय बैंक विनिमय की दर में उतार-चढ़ाव को कवर करने के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि रूपये 63,01,75,000-00 की 5**%** धनराशि रूपये 3,15,08,750-00 अतिरिक्त रूप से बैंक में जमा करने हेतु मांग की गई है, ताकि विनिमय की दरों में उतार-चढ़ाव होने पर भुगतान की तिथि को दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को कवर करते हुए वास्तविक भुगतान किया जा सके। इस प्रकार 5**%** अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात कुल रूपये 66,16,83,750-00 की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

2- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में नये हेलीकॉप्टर **Bell-412 EPI** के क्रय हेतु निर्माता कं0 **M/s. Bell Helecopter Textron Taxas, U.S.A.** को हेलीकॉप्टर के कुल मूल्य रू0 90,02,50,000-00 के सापेक्ष अवशेष 70**%** धनराशि के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल रू0 66,16,83,750-00 (रू0 छियासठ करोड़ सोलह लाख तिरासी हजार सात सौ पचास मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृत धनराशि में से रू0 9,44,25,000-00 (रू0 नौ करोड़ चवालिस लाख पच्चीस हजार मात्र) का आहरण उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-001 में जमा धनराशि से तथा शेष धनराशि रू0 56,72,58,750-00 (रू0 छप्पन करोड़ बहत्तर लाख अट्ठावन हजार सात सौ पचास मात्र) का आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16

---3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के संगत लेखा शीर्षक/मद से निम्नानुसार किया जायेगा :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 66,16,83,750-00 में से हेलीकॉप्टर के मूल्य की 60% धनराशि रूपये 54,01,50,000-00 (रूपये चौवन करोड़ एक लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान हेलीकॉप्टर **Bell-412 EPI** का **Technical Acceptance** होने के पश्चात, अवशेष 10% धनराशि रूपये 9,00,25,000-00 (रूपये नौ करोड़ पच्चीस हजार मात्र) का भुगतान हेलीकॉप्टर के भारत आने के बाद भारतीय सर्टीफिकेट आफ एयरवर्दीनेस (सी0 ऑफ ए0) प्राप्त करने के पश्चात निर्माता कम्पनी को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ में लेटर आफ क्रेडिट खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही यथासमय की जायेगी।

(3) विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को कवर करने के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि की 5% अतिरिक्त धनराशि रूपये 3,15,08,750-00 यथानियम बैंक में जमा की जायेगी और तत्कालीन विनिमय दरों के अनुसार भुगतान के पश्चात बैंक में अवशेष समस्त (वर्तमान अवशेष धनराशि और यदि बैंक खाते में पूर्व से उपलब्ध कोई धनराशि अवशेष है) धनराशि राजकीय कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-001 में जमा धनराशि पर यदि कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो यथानियम ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा करके शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या- 11/2015/435/छप्पन-15-94/2013, दिनांक 20-3-2015 में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध प्रश्नगत भुगतान के समय भी यथावत् लागू रहेंगे।

4- उपरोक्त स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष पी0एल0ए0 में जमा धनराशि रूपये 9,44,25,000-00 को समायोजित करते हुए रूपये 56,72,58,750-00 (रूपये छप्पन बहत्तर लाख अट्ठावन हजार सात सौ पचास मात्र) के व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-300-अन्य व्यय-03-हेलीकॉप्टर/ वायुयान का क्रय-26-मशीन आदि सज्जा/ उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

---4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 के अशा0 संख्या- ई-7-790/दस-2015, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 71/2015/1168(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अनुभाग-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।